छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2011 (फाल्गुन 16,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री अर्जुन सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल,धर्मजीत सिंह,श्रीमती पदमा घनश्याम मनहर, सदस्य, रायगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम,श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, धमतरी जिले में छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना अन्तर्गत साइकिल वितरण में लापरवाही किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) ग्राम मंगलोर में संचालित प्राथमिक शाला की मरम्मत एवं अहाता निर्माण करने,
- (ii) ग्राम रेंवे से पतोरा मार्ग का डामरीकरण करने,
- (iii) ग्राम बीजाभाट से रांका मार्ग का डामरीकरण करने,

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) ग्राम कुकरेला मुख्य मार्ग से मोहलई-पथर्री मार्ग निर्माण करने,
- (ii) ग्राम शिवपुर से हीरापुर-बड़ेपारा-घठुला मार्ग निर्माण करने,
- (iii) ग्राम पोड़गांव से लखनपुरी मार्ग में बालका नाले पर पुल निर्माण करने,

(3) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमेराटोली में हाईस्कूल खोलने,

क्रमश: 2

(4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम गांधी गोरकापार में संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण करने तथा

(ii) ग्राम सतमरा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

<u>निर्धारित समय</u>
3 घंटे 30 मिनट

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	3	पुलिस
मांग संख्या	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	5	जेल
मांग संख्या	17	सहकारिता

रायपुर
दिनांक 6 मार्च, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.